



"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)



No 2397/2014

12 पूर्णिया

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मे संजय सिंह **पुत्र/पुत्री/पत्नी काशी प्रसाद
आयु 35 वर्ष, जो राजीवगढ़ी दमका पो 0-मोटा कुंडा
झाना-सदर, जिला-पूर्णिया (बिहार), पिन-854326

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा-से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 12 पूर्णिया (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग स 8 के क्रम सं 273 पर प्रविष्ट हूँ।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं 9006969988 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) *** है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

CO-1 OF ELMAN
REGISTERED & MEMBER LIST
Purnea Court, Purnea
REGISTRATION No. 231

विधि



9518 11524900

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) को विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें न्यायालय द्वारा सजाय दिया गया है/दिया गया है

मदद (i) में वर्णित मामलों से मिलते-जुलते-

| | | |
|-----|--|-----------|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सजाय लेने के आदेश की तारीख | लागू नहीं |
| (ख) | उन मामलों के बारे में जहाँ न्यायालय ने सजाय दिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सजाय दिया गया है | लागू नहीं |
| (ग) | पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलें)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के बारे में | लागू नहीं |

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (जिनके विवरण उपरोक्त मदद (1) में निर्दिष्ट या उल्लेखित हैं) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष से अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है

यदि अभिसादी उपरोक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और उल्लेखित विवरण मदद (1) में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है



| | | |
|-----|---|-----------|
| (क) | उन मामलों के बारे में अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है | लागू नहीं |
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) | लागू नहीं |
| (ग) | अधिसूचित दंड | लागू नहीं |
| (घ) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के बारे में और वर्तमान प्रस्थिति | लागू नहीं |

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियाँ (जमान और ग्यारर आदि) के ध्यान में देता हूँ

अ. जमान आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1 - समुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करत हुए समुक्त नाम में आस्तियाँ का में विनियमित किया जाना है।

टिप्पण 2 - जमान/विनियान की दशा में जमान स. रकम जमान की सारीक स्वामी बैंक/संस्था का धन और शब्दा सहित ब्यारे दिए जाने है।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में भण्डार/शेयर डिपेंडेंसी का मूल्य स्टॉक एक्सचेंज में कल्लु भावना मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियाँ के अनुसार दिया जाने चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का यही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व लघुनिधम 1951 की धारा 254 अ अधीन स्पाटीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनियान की संबंध में पृथक्तरा दिए जाने है।

| क्रम सं. | विवरण | रकम | पति या पत्नी | आश्रित - 1 | आश्रित - 2 | आश्रित - 3 |
|----------|---|--|--------------|------------|------------|------------|
| (i) | हाथ में नकदी | 51,000/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) | बैंक खातों में जमान के ब्यारे (नियत जमान आवधिक जमान और अन्य सभी प्रकार के जमान जिसमें शक्त खातों में है) वित्तीय संस्थाओं, गैर सरकारी वित्तीय कंपनियों सहकारी सोसाइटियों के जमान और ऐसे प्रत्येक खाते में रकम | SB A/c No. 07120/000-932, 10101 Bank, Purnea R. 900/- SB A/c No. 22560/1000-1462 ULO Bank, GIB R. 800/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पारस्परिक विनियानों और अन्य में बंधपत्रों, डिपेंडेंसी/शेयर्स तथा यूनिटों में विनियान के ब्यारे और रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |



| | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| (iv) | राष्ट्रीय बचत योजना, आक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और हाकधर या बीमा कंपनी में किन्ही वितीय लिखतों में विनिधान और रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (v) | किसी ब्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म कंपनी, व्यापार आदि को लिए गए वैयक्तिक ऋण/अर्धन और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (vi) | मोटरयान/वायुयान/घाट/पोत (निक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम) | BR112-5172 (मोटर वाहन) 54,000/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (vii) | जेवरात मुल्यवान और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (viii) | कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दवा/भित का मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ix) | समग्र कुल मूल्य आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे | 1,06,700/- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा की उपदर्शित कर्तव्य संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्करण वर्णन किया जाना चाहिए।



| क्र. | विवरण | स्वर | द्वितीय भती | आदि-1 | आदि-2 | आदि- |
|------|---|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | कृषि भूमि का उपारंथरत (अवस्थितियां) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं) | | | | | |
| | क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | विनिधान | | | | |
| (ii) | अनुमानित घालू बाजार मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वायत्त संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास समिर्माण आदि माध्यम से भूमि पर कोई | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विनिधान | | | | |
| (iii) | अनुमानित घालू बाजार मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वायत्त संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास समिर्माण आदि माध्यम से संपत्ति पर कोई | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| विनिधान | | | | | |
| (iv) | अनुमानित घालू बाजार मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| स्वायत्त संपत्ति की दशा में | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |



| | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|
| | क्रय की तारीख | | | | | |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| | विकास, सनिमान आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| (V) | अनुमानित घालू बाजार मूल्य अन्त (जैसे कि संपत्ति में है) | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| (VI) | पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल घालू बाजार मूल्य | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |

(8) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और संस्कार के प्रति दायित्व / के राज्य के बाजार मूल्य है।

(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनके पते के साथ एक प्रकृत विवरण दें)

| | | | | | | |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| (i) | बैंक/वितीय संस्था (संस्थाओं के ऋण या शोध बैंक या वितीय संस्था का नाम, रकमा, ऋण की प्रकृति) | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| | पूर्वोक्त श्रेणी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति, निकाय की ऋण या शोध | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| | नाम, रकमा, ऋण की प्रकृति | | | | | |
| | कोई अन्य दायित्व | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| | दायित्वों का कुल योग | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| | सरकारी शोध / सरकारी अर्थात् से बरतने वाले विभागों को शासन की आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| | व्यक्ति आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| | टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| | सरकारी परिवहन (वायुमान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |
| | आय-कर शोध | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 | ₹ 21 |



| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | धनकर शोध | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- |
| | सेवाकर शोध | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- |
| | नगरपालिका/संघीय कर शोध | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- |
| | विद्यार्थक शोध | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- |
| | कोई अन्य शोध | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- |
| (iii) | सभी सरकारी शोधों का कुल योग | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- |
| (iv) | यदि कोई अन्य विवादशील है यदि तब अतिरिक्त रकम और उस रकम से निपटारे के लिए लागत है का वर्णन करें। | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- | १००/- |

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यारे

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी - गृहिणी

(10) नरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार

मैट्रिक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना
वर्ष 1992



जन्म/जिल्ला/डिप्टी कायम/... के ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस का पते का ब्यारे देना गरा था का ब्यारे दें।

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए खंडों का उद्घरण

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अन्यथा का नाम | संजय सिंह |
| 2 | ठेका का पता | गुनी बाड़ी, दमका पो. - मौडाकंडा खाना - सादर जिला - पूर्णिया (बि.के.) पिन - 854326 |
| 3 | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य | 12, पूर्णिया, बिहार |
| 4 | उस गठनबद्ध इकाई का नाम जिसमें उम्मीदारी का पत्र किया है (अन्यथा स्वतंत्र तैल) | स्वतंत्र |
| 5 | (i) ऐसे संबंधित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्षों या अधिक के कारावास से उद्भवित अपराधों से निपटारा करने के लिए न्यायालय द्वारा आरोप दिये गये हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय द्वारा न्यायालय से उद्भवित अपराधों से निपटारा किया गया है। | लाशू नशी लाशू नशी |
| 6 | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोप उद्भवित अपराधों से निपटारा करने के लिए कारावास से उद्भवित अपराधों से निपटारा किया गया है। (एक प्रतिशत प्रतिवर्ष 1950 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय) | लाशू नशी |



| | | | | |
|---|----------|------------|--------|--------|
| (ख) जति या पानी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ग) आश्रित | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 8 आस्तियाँ और दायित्वों के ब्यौरे (सूच्य में) | | | | |
| विवरण | रकम | पति का नाम | आश्रित | आश्रित |
| क जगम आस्तियाँ (कुल मूल्य) | 52,700/- | शून्य | शून्य | शून्य |
| ख स्थावर आस्तियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

शुद्धी के लिए
आवेदन संख्या
2010-11
BAMPS2572E A.Y. 2010-11
1,65,500/-

संख्या

में उपर उल्लिखित अभिसंधी द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता है कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वांगतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सच है और इसमें कोई भी धोखा नहीं है।



(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के पैरा 3 की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या तथित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरी अश्रिता के पास उपर भाग के पैरा 7 और 8 का भाग के पैरा 9 में उल्लिखित शरित का दस्तावेज से बिना कोई जानकारी या घोषणा नहीं है।

5-4-14

S. K. JHA

Notary Public authorised under notary act 1952 (53 of 1952 and UIR 3 (4) 1956 of the Act and J.S. 139 (C) the Code of civil Procedure, 1908 and 297(C) of Criminal Procedure Code, 1973

Shashi Kant Jha
ADVOCATE
NOTARY OFFICER
Purnea, Bihar (India)

शशि कान्त झा
अभिज्ञा

टिप्पण 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रदाता के सम्म शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी सत्यों को भरना जानना चाहिए और कोई जानकारी नहीं है तो उथास्थित न करना चाहिए।

टिप्पण 4 शपथपत्र टंकित या सुफादयरूप से साज-साज लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13/09/2013 को WP(C) नं. 12/2013 में दिये गये आदेश के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य को सम्मिलित करके एक संयुक्त शपथपत्र तैयार किया जायेगा जो कि न्याय विभाग के आदेश के अन्तर्गत तैयार किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति इस शपथपत्र को भंग करने का प्रयास करता है तो उसे सख्त सजा दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति इस शपथपत्र को भंग करने का प्रयास करता है तो उसे सख्त सजा दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति इस शपथपत्र को भंग करने का प्रयास करता है तो उसे सख्त सजा दी जायेगी।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पैरा 3 में जानकारी बिना लिखित रूप में देना / संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100